

III- 10/2016

वसीयतनामा (इच्छापत्र)

यह वसीयतनामा आज दिनांक 20-10-2016 को स्थान मसूरी, जिला देहरादून में निष्पादित की जा रही है।

मैं, चन्द्रभान गोयल पुत्र श्री शिवधन राम, निवासी-गोयल सदन, दुग्गल विला रोड़ मसूरी, जनपद देहरादून का हूं।

मैं वर्तमान में स्वस्थ मन-चित का हूं तथा अपना भला-बुरा अच्छी तरह समझता हूं जीवन का पता नहीं कब अचानक मेरे साथ अनहोनी हो सकती है। मुझे एक सम्पत्ति जो कि शान्ति निवास, हैप्पीवैली, मसूरी, जनपद देहरादून में स्थित है, जिसका कुल रक्कम 0.30 एकड़ है जिसमें एक भवन निर्मित है। जिसका आधा भाग मुझे अपने पिता से वसीयत से प्राप्त हुआ है। उक्त सम्पत्ति को मैं अपने दोनों पुत्र सन्दीप गोयल तथा सचिन गोयल के नाम संलग्न मानचित्र "A" अनुसार बसीयत कर रहा हूं। जिसकी सीमायें लाल, नीले एवं पीले रंग से रेखांकित है। लाल रंग की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 1430 वर्गफीट) सचिन गोयल के नाम कर रहा हूं तथा नीले रंगी की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 1481 वर्गफीट) अपने दूसरे पुत्र सन्दीप गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूं। पीले रंग की सम्पत्ति पर मेरे दोनों ही पुत्रों का समान अधिकार होगा। जिनको दोनों पुत्र संयुक्त रूपसे प्रयोग में लायेंगे तथा पीले रंग की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे।


इसके अलावा एक सम्पत्ति जिसमें वर्तमान में मेरा परिवार निवास कर रहा है जो भाग इलेव्टर्ट लॉज है, जो अब दुग्गल विला इस्टेट के नाम से जानी जाती है तथा सम्पत्ति लाईब्रेरी मसूरी जनपद देहरादून में स्थित है जो वर्तमान में

गोयल सदन, के नाम से जानी जाती है, श्रीमती शान्ति गोयल द्वारा पूर्व में पंजीकृत बैनामा बही संख्या 1, जिल्द 1931, पृष्ठ 71/73 एडीशनल बुक नॉ 1, जिल्द 1931, पृष्ठ 305/306 दस्तावेज संख्या 4666 दिनांक 27-07-1982 कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून से क्य की है जिसका रकबा 1505 वर्गमीटर है तथा जिसमें एक तीन मंजिला भवन निर्मित है का अधा भाग जो मुझे मेरी माता से वसीयत दिनांक 29-04-1995 बही संख्या 3, जिल्द संख्या 1, पृष्ठ 88 से 90 दस्तावेज संख्या 2/95 दिनांक 06-05-1995 सब रजिस्ट्रार मसूरी से प्राप्त हुयी है तथा वर्तमान में हम दोनों भाईयों के मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार जो सम्पत्ति मेरे पूर्ण स्वामित्व, अध्यासन, व कब्जे में है, उक्त सम्पत्ति को मैं अपने दोनों पुत्र सन्दीप गोयल तथा सचिन गोयल के नाम संलग्न मानचित्र "B" अनुसार बसीयत कर रहा हूँ। जिसकी सीमायें लाल, नीले एवं पीले रंग से रेखांकित है। लाल रंग की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 138.45 वर्गमीटर तथा खुली भूमि 279.55 वर्गमीटर) सचिन गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूँ तथा नीले रंगी की सम्पत्ति (आच्छादित क्षेत्रफल 138.45 वर्गमीटर तथा खुली भूमि 279.55 वर्गमीटर) अपने दूसरे पुत्र सन्दीप गोयल के नाम वसीयत कर रहा हूँ, पीले रंग की सम्पत्ति पर मेरे दोनों ही पुत्रों का समान अधिकार होगा। पीले रंग की सम्पत्ति दोनों पुत्र प्रयोग में लायेंगे तथा पीले रंग की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा। उक्त सम्पत्तियों के मेरे दोनों पुत्र (संलग्न मानचित्रों के अनुसार) एक मात्र स्वामी होंगे, अन्य कोई साझीदार या हिस्सेदार नहीं होगा। उक्त दोनों पुत्रों के अलावा मेरी तीन पुत्रियाँ हैं-जिनका मेरे द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका विवाह अच्छे परिवार में कर दिया है जो अपने परिवार के साथ सुख सम्पन्न हैं।


मेरे हारा यह वसीयत लिख दी गई है ताकि भविष्य में मेरी उक्त सम्पत्तियों के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न न हो तथा मेरी इस वसीयत का सम्मान हो।

निष्पादनकर्ता का नाम व पता— चन्द्रभान गोयल पुत्र श्री शिवधन राम,
निवासी—गोयल सदन, दुग्गल विला रोड, लाईब्रेरी, मसूरी, जनपद देहरादून।

बाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



दाये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



Chandresh

4 Chandresh

पहचान श्री मुकेश कुमार
पुत्र श्री बनरजी गुरु
निवासी कालाहटुल गढ़मध्ये
व श्री विनोद कुमार
पुत्र श्री सोहन जाला
निवासी सूडियोलाल तुलडीमध्ये
हो छी।



Hanchmaru

Mark

Wm. Bayley

निवासिको का निष्ठा लिए गए
साक्षी परिचय है निष्ठा से मुक्ता किया।



वलीपतनामा

रजिस्ट्रेशन शुल्क 100/- मिलान 100/- ग्राह 100/-
श्रीचंद्रभानगोपल राज लगभग 100

पूजा श्री शिवधमटाम
नितार्थी गोपलसदन दुग्गलविलारोड़कायबैही मध्ये
दो आज १३-१०-२०६ को
दृग्य नम्बर १७६१ वर्ज
कालिक उप निवन्धुल मध्ये
देहादूक ने प्रतृत की

ल निवन्धु
सदाचारी है

(Chandrabhan Gopal)

इस लेख पत्र का लिपादन →
विक्रय धन रु ५०

में से रु ० मेरे सामाजिक

प्राप्ति करके उक्त श्री चंद्रभान
ने स्वीकार किया।

Chandwani

निष्पादनकर्ता

यह वसीयत मेरे द्वारा उक्त तिथि, मास व वर्ष को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित तथा हस्ताक्षरित की तथा गवाहों ने मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आये।

हस्ताक्षर गवाहान—

1—

(मुकेश कुमार) *Mukesh Kumar*

पुत्र श्री बनारसी दास,
निवासी—कालास्कूल गेट,
मसूरी।

वोटर आईडी0 UP/01/423/060466

2—

(विनोद) *Vinod Singh*

पुत्र श्री सोहनलाल
निवासी—स्टूडियो लॉज,
कुलडी, मसूरी।

वोटर आईडी0 UP/01/423/042402

5 *Chandwani*

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45—गांधी रोड, देहरादून

पत्रांक: 1793
/ 2-8-4(4) / 2018-19

दिनांक: 26 फरवरी 2019

श्रीमती शांति गोयल पत्नी स्थ० श्री चन्द्रभान गोयल
दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी, मसूरी
जनपद—देहरादून।

दूरभाष:—0135—2631446 मो०न०: 9837150565

विषय :— अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत शिव शांति होम स्टे का संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रेषण।

उपरोक्त विषयक अवगति कराना है कि आपके द्वारा अपने पति श्री चन्द्रभान गोयल के आकस्मिक निधन के दृष्टिगत अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पूर्व में पंजीकृत शिव शांति होम स्टे, दुग्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी, मसूरी, जनपद—देहरादून का पंजीकरण अपने नाम पर हस्तांतरित करने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत किया गये प्राविधानों के अनुरूप होम स्टे का संचालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न.—उक्तवत् संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र।

Tan
(के० एस० शावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45—गांधी रोड, देहरादून

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रः-

एतदारा राज्य शासन की अधिसूचना संख्या-4041/2-7-129/2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह व नियमों के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार उल्लिखित होम स्टे को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए (दि 09 जुलाई 2020 तक) संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1-	संस्थुत श्रेणी	: सिल्वर (शहरी क्षेत्रान्तर्गत)
2-	पंजीयन संख्या	: होमस्टे-2018/103
3-	भवन व भवन स्वामी का नाम व पूरा पता दूरभाष संख्या/मोनॉ	: शिव शांति होम स्टे श्री चन्द्रभान गोयल पुत्र स्वरूप श्री शिवधन राम गोयल दुर्गल विला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी मसूरी, जनपद-देहरादून।
4-	व्यवसाय	: 0135-2631446, 9837150565
5-	पंजीकृत कक्ष (क)दो शैया वाले कक्ष (ख)फैमिली सूट/4 शैया कक्ष	: विजनस
	भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध/भवन स्वामी के उत्तापायित्वः-	
I.	भवन स्वामी होटल की भाँति आवास में स्वागत पटल (रिसेप्शन काउन्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भाँति ही रहेगा।	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्थुत अधिकतम दर : ₹ 1600/-
II.	भवन स्वामी कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस-पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्थुत अधिकतम दर : ₹ -
III.	इकाई के विषय में भास्मक सूचनायें प्रचलित नहीं करेगा तथा किसी प्रकार की दलाली में संलिप्त नहीं होगा।	कुल पंजीकृत शैय्यायें : 06
IV.	निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर अनिवार्य रूप से बढ़े व स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।	
V.	विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना फार्म-सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रों में जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में स्थानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।	
VI.	आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचना अंकित करनी होगी। गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, यदे कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनः पंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। भवन स्वामी द्वारा आगन्तुक पंजिका एवं बिल बुक/कैश रसीद का सत्यापन क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय देहरादून से कराना अनिवार्य होगा।	
VII.	आवास करने वाले पर्यटकों की पर्यटक सांख्यिकी निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।	
VIII.	कमरों/प्रसाधन कक्षों की उचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उनका रख-रखाव उत्तम स्तर का होने के साथ अप्रिशमन सुख्ता उपकरणों से संरक्षित करना अनिवार्य होगा।	
IX.	पंजीकृत इकाई का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समस्त अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। रख-रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।	
X.	यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।	
XI.	यदि भवन स्वामी द्वारा दी जा रही सुविधाओं में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय भवन स्वामी द्वारा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन की अवधि पूर्ण होने पर यह पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका अग्रेतर संचालन पूर्णतया अवैध होगा।	
XII.	पंजीकृत किये गये कक्षों से अधिक कक्षों का संचालन किये जाने तथा संस्थुत की गयी दैनिक किराये की दर से अधिक किराया वसूल किये जाने की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।	
XIII.	समस्त सुसंगत नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पंजीयन की स्थिति में किसी शिकायत अथवा वाद की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।	
XIV.	योजनान्तर्गत पंजीकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। रवानित रामबन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।	
XV.	पुलिस वैरिफिकेशन के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पंजीकरण स्थित ही निरस्त समझा जायेगा।	
XVI.	योजना के प्रदर्शित किये जाने वाले साइनबोर्ड पर होम स्टे लिखना अनिवार्य होगा।	
दिनांक:	10 जुलाई 2018	

19/07/2018
(के० एस० रावत)
जिला पर्यटन विकास अधिकारी
देहरादून।



क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय

45-गांधी रोड, देहरादून

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016)

के अन्तर्गत संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्रः-

एतदादारा राज्य शासन की अधिसूचना संख्या-4041/2-7-129/2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) एवं 4154/2-7-129/2017 दिनांक 09 मार्च 2017 के अन्तर्गत विहित शर्तों व नियमों के अधीन नीचे दिये गये विवरणानुसार उल्लिखित होम स्टे के पूर्ण पंजीकरण को संशोधित करते हुए दिनांक 09 जुलाई 2020 तक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1- संस्कृत श्रेणी	सिल्वर (शहरी क्षेत्रान्तर्गत)	
2- पंजीयन संख्या	हॉस्टे-2018/103	
3- भवन व भवन स्वामी का नाम	शिव शांति होम स्टे श्रीमती शांति गोयल पत्नी स्प० श्री चन्द्रभान गोयल	
व पूरा पता	दुर्गाल पिला रोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी मसूरी, जनपद-देहरादून।	
दूरभाष संख्या / नोट्स	0135-2631446, 9837150565	
4- व्यवसाय	विजनस	
5- पंजीकृत कक्ष		
(क) दो शैय्या वाले कक्ष	: 03	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्कृत अधिकतम दर : ₹ 1600/-
(ख) फैमिली सूट/4 शैय्या कक्ष	: -	प्रतिकक्ष दैनिक किराये की संस्कृत अधिकतम दर : ₹ -
कुल पंजीकृत कक्ष	: 03	कुल पंजीकृत शैय्याये : 06

भवन स्वामी पर प्रतिबन्ध/भवन स्वामी के उत्तराधित्व-

- I. भवन स्वामी होटल की भाँति आवास में स्वागत पटल (रिसापान काउन्टर) नहीं लगायेगा तथा घर सामान्य आवास की भाँति ही रहेगा।
- II. भवन स्वामी कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस-पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।
- III. इकाई के विषय में भ्रामक सूचनायें प्रचलित नहीं करेगा तथा किसी प्रकार की दलाली में सलिल नहीं होगा।
- IV. निर्धारित दरों को भवन के उचित स्थल पर अनिवार्य रूप से बड़े व रप्पल अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- V. विदेशी पर्यटकों के आवास की सूचना फार्म-सी पर तत्काल शहरी क्षेत्रों में जोकि पुलिस के नियंत्रणाधीन हों की दशा में रथानीय थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरी/पटवारी/राजस्व पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।
- VI. आवास करने वाले पर्यटकों हेतु एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें निर्धारित ग्राहक के अनुसार सूचना अंकित करनी होगी। गृह आवास में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, यदि कोई पर्यटक इस अवधि से अधिक गृह आवास में रहना चाहता है तो इस स्थिति में पुनः पंजीकरण करने हेतु गृह आवास स्वामी की सहमति आवश्यक होगी। भवन स्वामी द्वारा आगन्तुक परिज्ञाएँ एवं विल बुक/कैश रसीट का सत्यापन क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय देहरादून से कराना अनिवार्य होगा।
- VII. आने वाले पर्यटकों की पर्यटक साइर्कली निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
- VIII. कमरों/प्रसाधन कक्षों की उचित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं उनका रख-रखाव उत्तम स्तर का होने के साथ अनिश्चित सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित करना अनिवार्य होगा।
- IX. पंजीकृत इकाई का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समस्त अभिलेख नांगे जाने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। रख-रखाव उचित स्तर का न पाये जाने अथवा पर्यटकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी समय पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- X. यदि भवन स्वामी पर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- XI. यदि भवन स्वामी द्वारा दी जा रही सुविधाओं में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना 30 दिन के अन्दर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा समिति द्वारा पंजीयन समाप्त कर दिया जायेगा।
- XII. भवन स्वामी द्वारा पंजीकरण समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। पंजीयन की अवधि पूरी होने पर यह पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका अग्रेतर संचालन पूर्णतया अवैध होगा।
- XIII. पंजीकृत किये गये कक्षों से अधिक कक्षों का संचालन किये जाने तथा संस्कृत की गयी दैनिक किराये की दर से अधिक किराया उसूल किये जाने की पुष्टि होने पर पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- XIII. समस्त सुरक्षा नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पंजीयन की स्थिति में किसी शिकायत अथवा वाद की दशा में पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- XIV. योजनानार्त्त पंजीकरण से सम्पत्ति के स्वामित्व को कोई सम्बन्ध नहीं होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- XV. पुलिस दैरेफिकेशन के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर पंजीकरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- XVI. योजना के प्रदर्शित किये जाने वाले साइनबोर्ड पर होम स्टे लिखना अनिवार्य होगा।

दिनांक: 25 फरवरी 2019


 (के० एस० श्रवता)
 जिला पर्यटक विकास अधिकारी
 देहरादून।

III-10/2016

**PART SITE PLAN OF GOEL SADAN, DUGGAL VILLA ROAD, MUSSOORIE
OWNER SH. CHANDER BHAN GOEL 'B'**

WILL BY


: SH. CHANDER BHAN GOEL

**TOTAL COVERED AREA : 1489.75 SQ.FT OR 138.45 SQ.MT. (INCLUDING G/F, B/F-1 & B/F-2)
IN BLUE COLOR TO MR. SANDEEP GOEL**


**TOTAL COVERED AREA : 1489.75 SQ.FT OR 138.45 SQ.MT. (INCLUDING G/F, B/F-1 & B/F-2)
IN RED COLOR TO MR. SACHIN GOEL**

**OPEN LAND : 3008.0 SQ.FT OR 279.55 SQ.MT IN BLUE TO MR. SANDEEP GOEL
OPEN LAND : 3008.0 SQ.FT OR 279.55 SQ.MT IN RED TO MR. SACHIN GOEL**


TO DUGGAL VILLA



Chander Bhan
SIGN. OWNER



Chander Bhan
SIGN. OWNER



M - 5

NAGAR PALIKA PARISHAD
City Board Mussoorie

Book No.

512

Receipt No.

93

RECEIPT

MUNICIPALITY.....

Demand Register No.

Received from.....

Rupees (in words).....

On account of.....

Premises No.

for the period.....

in full/part Payment of demand bill No.

Dated.....

ed.....

Executive Officer.....

H.T.

Tax Collector.....

W.C./Rents/etc.

Clerk incharge of demand and collection-
J B

Total Rs.

Register.....

Tax Superintendent.....

Cashier.....

Accountant.....

कार्यालय (कर विभाग) नगर पालिका परिषद, मसूरी, (जिला : देहरादून)

नोटिस २४६९(प)। कर

दिनांक २५-०२-२०१९/कर दिनांक.....

क्षेत्र/सूची क्रमांक.....

मृत्युप्रभाग पर
इष्टपत्र पत्र स्था
निधन नाम

- 1- श्री १. मम दीप गोप्तवा श्री २५ अप्रैल २०१९
- 2- श्री २. सन्दीप डायल २० अप्रैल २०१९
- 3- श्री ३. अमित डायल २० अप्रैल २०१९
- 4- श्री ४. गोप्तवा सर्व दुग्धाल निलाल लाइने भवन

आपको यू०पी० मुनिसिपेलिटिज एक्ट 1916 की धारा-147 के अधीन एतद् नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी ने, भवन और भूमि सम्पत्ति मूल्यांकन एवं कर निर्धारण सूची में क्षेत्र सं० ६५५५ मोहल्ला..... में स्थित भवन/भूमि.....

गोप्तवा सर्व दुग्धाल निलाल लाइने भवन

सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित संशोधन और परिवर्तन करने का निश्चय किया जाय ।

(क) उक्त सम्पत्ति को प्रवृद्धि मूल्यांकन एवं कर का निर्धारण सूची में की जाय और इस सम्पत्ति में आपका नाम स्वामी के रूप में अंकित किया जाय तथा इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य रु०..... ६५००/- तथा वार्षिक भवन और भूमि कर रु०..... १७५/- निर्धारित किया जाय ।


(ख) उक्त सम्पत्ति का पूर्व में हुआ गलत मूल्यांकन या कपट, मिथ्या - व्ययदेशन या त्रुटि के कारण पूर्व में किए गए गलत मूल्यांकन में निर्धारित वार्षिक रु०..... में वृद्धि करके वार्षिक मूल्य रु०..... तथा वार्षिक भवन और भूमि कर और रु०..... निर्धारित किया जाय ।

(ग) उक्त सम्पत्ति में किए गए परिवर्तन परिवर्द्धन के कारण पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य रु०..... में वृद्धि करके वार्षिक मूल्य रु०..... तथा वार्षिक भवन और भूमि कर रु०..... निर्धारित किया जाय ।

(घ) (1) उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकार का अंतरण हो जाने के कारण मूल्यांकन सूची में अंकित स्वामी श्री..... का नाम स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय ।

(2) उक्त सम्पत्ति के स्वामी..... श्री..... की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके वर्तमान उत्तराधिकारी या अन्य रूप से इस सम्पत्ति में उनके अधिकारों के उत्तराधिकारी श्री..... का नाम स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय ।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो स्पष्ट तर्क संगत तथ्यों सहित अपनी आपत्ति लिखित रूप में इस नोटिस को तामिल के दिनांक से एक माह के अन्दर अधोलिप्ताकारी को प्रेषित करें अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले दिनांक के आगे दिन या उसके बाद संशोधन और परिवर्तन या मूल्य निर्धारण (जैसी भी स्थिति हो) का अधिग्रामाणिकरण कर दिया जायेगा । स्केबेनिंग टैक्स आदि करों का निर्धारण भी उक्त निर्धारण वार्षिक मूल्य पर किया जायेगा ।


जी. गुरु
अधिकारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी